न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय सं०–01 , (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मेरठ।

पीठासीन अधिकारी:–आलोक द्विवेदी (H.J.S)

CNR NO–UPME010091572026

फौजदारी विविध वाद संख्या– 733/2026
मु०अ०स०–28/2024
धारा–303, 201, 120–B, 34 IPC
थाना –परतापुर, जिला – मेरठ।

नाजिम पुत्र जमशेद नि० ग्राम लहोगरा , थाना अगौला, जनपद बुलन्दशहर उ०प्र०।

–––––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार ––––––अभियोजक

दिनांक–22.07.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त नाजिम की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3 ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अभियुक्त दिनांक– 22.01.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त की जमानत मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक– 14.01.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। जिसके अनुपालन में न्यायालय द्वारा दिनांक– 09.06.2026 को जमानत राशि अंकन 1 लाख रूपये व समान धनराशि के 2 जमानती नियत की है। अभियुक्त का कोई पैरोकार नहीं है। जिस कारण से जमानत स्वीकार होने के 5 महीने पश्चात भी अभियुक्त बेल बांड दाखिल नहीं कर सका। अतः उक्त के आधार पर अभियुक्त द्वारा जमानत की धनराशि कम करके 30,000/– रूपये के दो जमानती दाखिल किये जाने की याचना की गयी है।

सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त नाजिम की जमानत दिनांक–14.01.2026 को स्वीकार की गयी थी, जिसके अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त नाजिम की जमानत धनराशि अँकन 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व उक्त राशि के दो जमानती दाखिल नियत की गयी थी। अभियुक्त नाजिम जिला कारागार में निरुद्ध है। जमानत की व्यवस्था न होने के कारण रिहा नहीं हो सका। इस संबंध में अभियुक्त की आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति की आख्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था SMWP No 4/2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप अभियुक्त के पैतृक निवास उपरोक्त से आख्या आहूत की गयी है, जिसमें यह अँकित है कि नाजिम का गांव में मात्र 60 गज का अपना मकान है। मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त नाजिम की जमानत धनराशि को शिथिल करके अंकन 1,00,000/– रूपये के स्थान पर 30,000/– रूपये तथा 02 प्रतिभू दाखिल करने पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त पाता हूं।

<u>आदेश</u>

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–09.06.2026 में अंकित जमानत धनराशि 1,00,000/– रूपये को कम करते हुए मु० 30,000/– रूपये का निजी बंधपत्र, समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने का आदेश दिया जाता है। मु०– 30,000/– रूपये के दो जमानती प्रस्तुत करने पर तथा सत्यापन उपरान्त अभियुक्त को रिहा किया जावे। जमानत की शेष शर्तें यथावत रहेंगी, तद्नुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांक–22.07.2026

(आलोक द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
विशेष न्यायालय स०– 1(भ्र०नि०अधिनियम),मेरठ।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 6247

This is uncertified copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.

Digitally signed by ALOK DWIVEDI
Date: 2026.07.22 15:03:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court